संख्या : पीसीएच-एचबी (1)09/2022-त0स0 शिमला–VI- 29075-86
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

****

प्रेषक:-

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

सेवा में,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि0प0)-एवं-
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9, दिनांक – 06-09-2023

विषय:- **जिला परिषद काडर के अधीन कार्यरत नियमित वेतनमान प्रदान प्राप्त तकनीकी सहायकों को सेवा-निवृति उपरान्त देय लाभ प्रदान करने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (जिला परिषद) शिमला को संबोधित इस कार्यालय के पत्र संख्या: पीसीएच-एचबी (1)09/2022-त0स0 शिमला–VI-76200 दिनांक 17/12/2022 जो समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)-एवं-अतिरिक्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश को पृष्ठांकित है, के अधिलंगन मे मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/10/2018 के तहत दिनांक 07/04/2008 से पूर्व नियुक्त तकनीकी सहायकों को देय मासिक वेतन की अदायगी संबन्धित पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि से करने का निर्णय लेने उपरान्त उक्त कर्मचारियों को वर्तमान मे वह सभी लाभ जैसे वेतन/भत्ते व अन्य सुविधाएं जो जिला परिषद काडर मे अन्य नियमित कर्मचारियों, जिन्हें देय मासिक वेतन की अदायगी राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि से की जा रही है, प्रदान की जा रही है।

उक्त के दृष्टिगत संबन्धित तकनीकी सहायकों को देय मासिक वेतन की अदायगी दिनांक 01/01/2019 की तिथि से पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर प्रदान की जा रही अनुदान राशि से करने उपरान्त वर्तमान मे यह कर्मचारी जिला परिषद काडर मे नियमित रूप से कार्यरत है। जिस कारण दिनांक 07/04/2008 से पूर्व नियुक्त तकनीकी सहायकों को विभाग के कार्यालय आदेश संख्या: पीसीएच-एचबी (1)12/2006-क0मू0आ0नौ0-35197-301 दिनांक 31/05/2019 के तहत सेवानिवृति लाभ, जैसे अवकाश के बदले नकदीकरण तथा सेवा-निवृति/मृत्यु उपदान आदि लाभ देय होंगे।

भवदीय

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

पृ0सं0:- उपरोक्त- 29087-29186 शिमला-171009 दिनांक – 06-09-2023

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. समस्त सचिव (जिला परिषद)-एवं-जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति)-एवं-खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

दूरभाष :2623805 (panchayariraj-hp@nic.in)